संख्या-19/2018-762/58-2018-332/2016 टी0सी0

प्रेषक,

आर0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 27 मार्च, 2018**

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-01-0102-पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन की योजना में प्रशासनिक व्यय को वहन किये जाने हेतु धनराशि रू0-42.02 लाख को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-307-08/बजट/2017-18, दिनांक 20.03.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के पत्र सं0-21-20/2017-आर0ई0एफ0, दिनांक 05.10.2017 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0-2340.00 लाख में से अवशेष धनराशि रू0-200.08 लाख के सापेक्ष प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्राप मोर क्राप माइक्रोइरीगेशन के दिशा-निर्देश के प्रस्तर-22 में की गयी व्यवस्था के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत पर ड्राप मोर क्राप माइक्रोइरीगेशन की योजना में प्रशासनिक व्यय हेतु लेखाशीर्षक-2401-119-01-0102- पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन की योजना में प्रशासनिक व्ययों को वहन किये जाने हेतु 42-अन्य व्यय मद में धनराशि रू0-42.02 लाख (रूपये-बयालिस लाख दो हजार) मात्र आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उक्त धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

2- नियमानुसार केन्द्रांश की धनराशि का व्यय भारत सरकार कृषि मंत्रालय के निर्देशानुसार एवं राज्य सरकार के निहित प्राविधानों के तहत किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का व्यय जनपदवार भारत सरकार से स्वीकृत परिव्यय/योजना के अनुसार निर्धारित नवीन फन्डिंग पैटर्न के अनुरूप ही भारत सरकार से अनुमोदित कार्ययोजना के अन्तर्गत नियमानुसार किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी भी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

4- जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाय।

6- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व वित्त नियंत्रक इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये।

8- भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।

11- यदि विभाग द्वारा भारत सरकार/शासन द्वारा निर्धारित शर्तों का विचलन किया जाता है, तो उसके लिए निदेशक, उद्यान/मिशन उद्यान तथा वित्त नियंत्रक उद्यान विभाग एवं सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान सीधे उत्तरदायी होंगे।

12- प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि की उपयोगिता रिपोर्ट पूर्ण विवरण सहित प्रत्येक माह के 10 तारीख तक शासन को अवश्य ही उपलब्ध करायी जाय।

13- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक 2401-119-01-0102-पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन की योजना में प्रशासनिक व्ययों को वहन किये जाने हेतु 42-अन्य मद के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 एवं शासनादेश सं0-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017 दिनांक 20.11.2017 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-19/2018-762(1)/58-2018, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
(3) संयुक्त सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
(4) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0शासन।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in